राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.6(261)परि/टैक्स/मु./2004/59099 जयपुर, दिनांकः 1/10/14

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार ने मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 4) की धारा 68–घ की उप–धारा (3) और मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 100 की उप–धारा (3) के अधीन समय–समय पर स्कीमों का, उसमें विनिर्दिष्ट मार्गों के संबंध में सड़क परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु, प्रकाशन किया है।

और यतः, राज्य सरकार की यह राय है कि परिवहन सेवाओं की मांग को पूरा करने को ध्यान में रखते हुए लोकहित में निजी संचालकों को उक्त स्कीमों में विनिर्दिष्ट मार्गों पर मंजिली गाड़ियों को किराये या पारिश्रमिक पर चलाए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाना आवश्यक है।

अतः अब, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा आज तक प्रकाशित समस्त स्कीमों को उपांतरित करने का प्रस्ताव करती है। उक्त अधिनियम की उक्त धारा की अपेक्षानुसार निम्नलिखित प्रारूप उपान्तरण, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम और इससे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा इसके द्वारा उन्हें सूचना दी जाती है कि इस प्रारूप उपान्तरण पर उस तारीख, जिसको इस अधिसूचना की राजस्थान राजपत्र और एक दैनिक स्थानीय समाचार पत्र में यथा–प्रकाशित प्रतियां उन्हें उपलब्ध हो जाती हैं, से 30 दिवस की कालावधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा।

उपर्युक्त विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पूर्व किसी भी ऐसे आक्षेप या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप उपान्तरण के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त हों, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

ऐसे आक्षेप या सुझाव प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, सहकार मार्ग, जयपुर का सम्बोधित किये जाने चाहिए जिन पर प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त द्वारा दिनांकः 17.11.2014 को 11.00 बजे सुनवाई की जायेगी।

प्रारूप उपान्तरण

विद्यमान अंतिम खण्ड, जो समस्त स्कीमों में अधिसूचना संख्या एफ 6 (261)परि/टैक्स/एच.क्यू./2004 दिनांक 21.03.2007 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"इन स्कीमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निजी संचालकों को किराये या पारिश्रमिक पर उनके यान चलाने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुज्ञात किया जा सकेगा, अर्थात :–

(1) निजी संचालकों को मंजिली गाड़ी के परमिट राज्य सरकार द्वारा, यानों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए यानों और फेरों की सीमित की गयी संख्या के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे मार्गों पर जो कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किये जायें और ऐसी शर्तों पर जो राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जायें, मंजूर किये जा सकेंगे।

(2) नगरपालिक/नगर विकास न्यास सीमाओं के भीतर निजी संचालकों को संविदा गाड़ी के परमिट मंजूर किये जा सकेंगे।

(3) नगरपालिक/नगर विकास न्यास सीमाओं के भीतर और ऐसे उप–नगरीय मार्गों के लिए जो संभागीय मुख्यालयों, अलवर तथा भीलवाड़ा जिला मुख्यालय को किसी नगर से जोड़ते हैं, मंजिली गाड़ी के परमिट मंजूर किये जा सकेंगे किन्तु इन परमिटों के लिए मार्गों का सम्मिलित किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप–धारा (8) के अधीन विशेष अस्थायी परमिट अनन्य रूप से नगरपालिक/नगर सुधार न्यास सीमा अथवा दोनों के भीतर और उपनगरीय मार्गों पर चलायी जानी वाली किसी मंजिली गाड़ी के परमिटधारकों को समय–समय पर राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए जारी किये जा सकेंगे।

(4) स्कीम के मार्गों पर हार्ड टॉप वाली मैक्सी कैब के लिए संविदा गाड़ी के परमिट मंजूर किये जा सकेंगे।

(5) स्कीम मार्गों पर यात्री परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, सिवाय–

(i) विद्यमान अथवा भावी पारस्परिक अन्तरराज्यिक परिवहन करार के अधीन अन्य राज्यों के राज्य परिवहन उपक्रमों अथवा सम्बन्धित राज्यों के नामनिर्देशिती की मंजिली गाड़ी;

(ii) उपर्युक्त खण्ड (3) में यथावर्णित उप नगरीय मार्गों पर मंजिली गाड़ी परमिट;

(iii) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 74 के अधीन मोटर कैब और हार्ड टॉप वाली मैक्सी कैब को मंजूर किये गये संविदा गाड़ी परमिट;

(iv) स्कीम मार्गों से भिन्न मार्गों पर चलने वाले यानों को स्कीम मार्गों पर ओवरलैपिंग अनुज्ञात किया जा सकेगा बशर्ते उनके लिए कोई आनुकल्पिक मार्ग उपलब्ध न हो किन्तु यह ओवरलैपिंग नगरपालिक/नगर विकास न्यास सीमाओं में पड़ने वाले मार्ग के भाग की लम्बाई को छोड़कर 25 कि.मी. अथवा स्कीम मार्ग के 1/5 या संबंधित मार्ग के 1/5, इनमें से जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

(6) स्कीम के अधीन जारी परमिट में विनिर्दिष्ट मार्ग से भिन्न मार्गों पर चलने वाले यानों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 53 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबित किये जा सकेंगे।"

राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ. मनीषा अरोड़ा)
संयुक्त शासन सचिव (मु.)

क्रमांकः प.6(261)परि/टैक्स/मु./2004 59100-143 जयपुर, दिनांकः 1/10/14

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 01.10.2014 में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निदेशक, जन संपर्क निदेशालय को क्षेत्रीय भाषा के राज्य स्तरीय एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (न्याय), जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
8. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रा.रा.प.प.नि., जयपुर।
9. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
10. अपर परिवहन आयुक्त, ...(समस्त) जोन।
11. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी.....समस्त।
12. श्री संजय सिंघल, कम्प्यूटर प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (मु.)

Government of Rajasthan
Transport Department

No. F 6(261)/Pari/Tax/H.Q./2004 /59099 Jaipur, Dated : 1/10/14

Notification

Whereas, the State Government has published schemes from time to time under sub-section (3) of section 68D of Motor Vehicles Act, 1939 (Central Act No. 4 of 1939), and sub-section (3) of section 100 of Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) for providing road transport services in respect of routes specified therein.

And whereas, having regard to fulfilling the demand of transport services, the State Government is of the opinion that it is necessary in the public interest to allow private operators to ply on hire or reward stage carriages on routes specified in the said schemes.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 102 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the State Government hereby proposes to modify all the schemes published hitherto. The following draft modification is hereby published as required by the said section of the said Act, for information of the Rajasthan State Road Transport Cooperation and persons likely to be affected thereby and notice is hereby given to them that the said draft modification would be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette and one daily local newspaper are made available to them.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft modification before the expiry of the said period as specified above shall be considered by the State Government.

Such objections or suggestions should be addressed to the Principal Secretary to the Government and Transport Commissioner, Transport Department, Sahkar Marg, Jaipur which shall be heard on 17-11-2014 at 11.00 A.M. by the Principal Secretary and Transport Commissioner to the Government. 29

Draft Modifications

The existing last clause, which was substituted in all the schemes vide notification number F 6 (261) pari /tax/hq/2004 dated 21-03-2007 shall be substituted by the following, namely:-

"Notwithstanding anything contained in these schemes private operators may be permitted to ply their vehicles on hire or reward under following conditions, namely:-

(1) Permit for stage carriage may be granted to private operators on such routes as the State Government may decide, and subject to the number of vehicles and trips limited by State Government for various category of vehicles on such conditions as may be imposed by State Transport Authority.

(2) Permit for contract carriage may be granted to private operators within municipal/Urban Improvement Trust limits.

(3) Stage carriage permits may be granted within the municipal or Urban Improvement Trust limits and on sub-urban routes which link a town with divisional headquarters, district headquarter of Alwar and Bhilwara but no inclusion of routes shall be allowed for these permits. Special temporary permits under sub-section (8) of section 88 of Motor Vehicles Act, 1988 may be issued to permit holders of a stage carriage plying exclusively within municipal/ Urban Improvement Trust limit or both and on sub-urban routes subject to directions issued by State Transport Authority from time to time.

(4) Contract carriage permits for maxi cab having hard top may be granted on scheme routes.

(5) No person shall be allowed to provide passenger transport service on the scheme routes except-

(i) Stage carriage of State Transport Undertakings of other States or nominee of respective States under the existing or future reciprocal inter-state transport agreement;

(ii) Stage carriage permit on sub-urban route as mentioned in clause (3) above;

(iii) Contract carriage permit granted to motor cab and maxi cab having hard top under section 74 of Motor Vehicles Act, 1988; and

(iv) Vehicles plying on other than scheme routes may be allowed overlapping on scheme routes provided that no alternate route is available but this overlapping is limited to 25 kilometers or 1/5th of the

29/7

scheme route or 1/5th of the concerned route, whichever is less, excluding the length of the portion of the route falling in the municipal/ Urban Improvement Trust limits.

(6) The Registration Certificate of vehicles plying on routes other than specified in the permit issued under the scheme may be suspended under section 53 of the Motor Vehicles Act, 1988 by the competent authority."

By Order Of Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary (H.Q.)

No. F 6(261)/Pari/Tax/H.Q./2004 /59100-113 Jaipur, Dated : 1/10/14

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Director, Government Central Press, Jaipur. This notification may kindly be published in the extra-ordinary Gazette dated 1-10-2014 and a copy thereof may be sent to this department.
2. Director Public Relations, Rajasthan , Jaipur. This notification may kindly be published in one regional language Daily State Level Newspaper.
3. Private Secretary to the Principal Secretary, Chief Minister, Rajasthan.
4. Private Secretary to Additional Chief Secretary (Home), Rajasthan Jaipur.
5. Private Secretary to Principal Secretary , Justice Department, Jaipur.
6. Private Secretary to Principal Secretary Finance, Rajasthan, Jaipur.
7. Private Secretary to Principal Secretary&Transport Commissioner.
8. Private Secretary to Chairman & Managing Director, RSRTC, Jaipur.
9. All Head Quarter Officers of Transport Department, Jaipur.
10. Additional Commissioner, ...(All) Zone.
11. Regional/Addl. Regional/District Transport Officers.....(All).
12. Shri Sanjay Singhal, ACP for updating departmental website.
13. Guard File.

Joint Secretary (H.Q.)